निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–65/14
दायरा दिनांक :– 10. 06. 14
निर्णय दिनांक :– 5·8·22

उनवन

1. गोरीशंकर गोदपुत्र श्रीकृष्ण
2. बाबूलाल पुत्र नन्दकिशोर
3. रामबाबू पुत्र नन्दकिशोर
4. राजेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर
5. धनराज पुत्र नन्दकिशोर
6. पवन कुमार पुत्र बद्रीविशाल
7. शक्ति कुमार पुत्र बद्रीविशाल
8. चन्द्रशेखर पुत्र बद्रीविशाल
9. सत्यप्रकाश पुत्र रमेशचन्द्र
10. सूर्यप्रकाश पुत्र रमेशचन्द्र
11. रमेशचन्द्र पुत्र आनन्दीलाल जातियान ब्राह्मण निवासी माथनी तह0 व जिला बारां

––––वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां ––––प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट एवं 136 एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 5·8·22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बृजकिशोर शर्मा एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर टी एक्ट एवं 136 एल0 आर0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम माथनी तहसीनल बारां में आराजी खसरा नं. 239 रकबा 1.04 माल द्वितिय, खसरा नं. 240 रकबा 0.06 माल द्वितिय, 492 रकबा 0.37 चाही द्वितिय, खसरा नं. 493 रकबा 0.19 चाही द्वितिय, खसरा नं. 494 रकबा 0.30 ह0 खसरा [illegible] रकबा 1.08, नहरी प्रथम, खसरा नं. 1045 रकबा 0.19 नहरी प्रथम, खसरा नं. [illegible] रकबा 1.19 नहरी प्रथम, खसरा नं. 1087 रकबा 0.41 नहरी द्वितिय, खसरा नं. 1088 रकबा [illegible] नहरी द्वितिय खसरा नं. 1089 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:42:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

0.09 नहरी द्वितिय, खसरा नं. 1250/189 रकबा 0.48 माल प्रथम कुल 12 किता कुल रकबा 6.64 है0 स्थित है जिसको दावे में विवादित आराजियात के नाम से सम्बाधित किया गया है। आराजी खसरा नं. 1086 रकबा 0.41, खसरा नं. 1088 रकबा 0.64, खसरा नं. 1089 रकबा 0.09 है0 आराजी का साबिक खसरा नं. 653 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा था जिसे बंदोबस्त के दौरान बंदोबस्त अधिकारी ने रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा से घटाकर 7 बीघा कर दिया है अर्थात 1 बीघा 16 बिस्वा कम कर दिया है। बंदोबस्त अधिकारीयों को कानून उक्त रकबा घटाने का कोई अधिकार नहीं है उक्त रकबा किसी न्यायालय के आदेश से बंदोबस्त अधिकारी ने नहीं हटाया है बंदोबस्त का उक्त कृत्य गैर कानूनी है तथा उक्त रकबा कम करने का उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

वादीगण ने मौके के हिसाब से अपने अपने कब्जे के हिसाब से आराजी का बंटवारा कर लिया है तथा उक्त बंटवारे अनुसार राजस्व रिकार्ड में उसका अकंन हो चुका है उक्त भूमि का रिकार्ड में रकबा कम हुआ है किन्तु मौके पर भूमि 8 बीघा 16 बिस्वा स्थित है उक्त रकबे का कम हो जाने से वादीगण को कृषि ऋण लेने में, लोन लेने में काफी परेशानियो का सामना हो रहा है। वादीगण द्वारा तहसीलदार बारां स कई बार लिखित व मौखिक निवेदन करने करने तथा उक्त कमी रकबा को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया किन्तु उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरूस्ती नहीं करने के कारण वादकारण बमुकाम माथनी तहसील बारां में दिनांक 6–5–2014 को उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये समन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम माथनी सम्वत 2038–57, नकल जमाबंदी ग्राम माथनी सम्वत 2055–58, खाता सं. 57, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2067–70, नकल जमाबंदी ग्राम माथनी सम्वत 2067–70, खाता सं. 68, नकल खतौनी बन्दोबस्त ग्राम पीतमपुरा उर्फ माथनी सम्वत 2015–24, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015–24 खाता सं. 55 पेश की गई। साक्ष्य वादी में पी डब्लयू–1 सत्यप्रकाश के बयान कराये गये वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं0 1 आया कि ग्राम माथनी की आराजी खसरा नं. 1086 रकबा 0.41 है0 खसरा नं0 1088 रकबा 0.64 है0 खसरा नं0 1089 रकबा 0.09 है0 साबिक खसरा नं0 653 रकबा 0.16 बीघा था जिसे दोराने बन्दोबस्त अधिकारियों ने घटाकर 7.00 बीघा कर दिया जिसमें दुरस्त करा पाने के वादीगण अधिकारी है। –वादीगण

तनकी नं0 2 आया कि मौके पर आराजी 8.16 बीघा है तथा रिकार्ड में कमी हुई है जिसे दुरस्त करा पाने के वादीगण अधिकारी है। –वादीगण

तनकी नं0 3 आया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने से काबिल आराजी है। –प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:42:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम माथनी में स्थित है खसरा नं. 1086/1088/1089 एवं 653 का कुल रकबा 8.16 बीघा था सेटलमेन्ट के दौरान रकबा 8.16 बीघा के स्थान पर 7 बीघा कर दिया अर्थात 1.16 कर दिया है वादीगण मौके पर अपनी अपनी भूमि पर काबिज काश्त है कब्जे के आधार पर बंटवारा कर लिया तथा राजस्व रिकार्ड में अकंन हो चुका है उक्त भूमि रिकार्ड में कम कर दी गई है परन्तु मौके पर पूर्व ही कम किया गया रकबा वादी दुरस्त कराने के अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार किया जा कर वादी का कम किया रकबा पूर्ण किया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादी के वाद का तनकी वाद निरतारण निम्नानुसार किया जाता :–

तनकी नं0 1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था नकल जमाबंदी ग्राम माथनी सम्वत 2055–58, खाता सं. 57 के अनुसार वादीगण का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2067–70 ग्राम माथनी के अनुसार वादीगण के कब्जे काश्त में दर्ज है। जिसके जिसमें फसल सोयाबीन, मक्का, गेहूं, सरसों की फसल काश्त किया जाना दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत 2067–70 खाता सं. 68 के अनुसार वादीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि के अनुसार श्रीकिशन व नन्दकिशोर आराजीयात नारायण हिस्सा 1/2 आनन्दीलाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है वादीगण द्वारा आस पडोस के खसरा नम्बरांक की जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, नक्शा–हाल व साबिक पेश नहीं किया है। वादी द्वारा जिस हाल खसरा–नम्बर, रकबा एवं कृषक से क्षतिपूर्ति चाही गयी है उसका उल्लेख नहीं किया गया है और न ही उसे पक्षकार बनाया है दावे के तथ्यों को सिद्ध करने का दायित्व वादी का है वादीगण यह सब कुछ सिद्ध करने में विफल रहे है अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्मित की जानी है।

तनकी नं. 2 इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था वादी द्वारा मौके पर आराजी 8.16 बीघा होना बताया है तथा रिकार्ड में कम दर्ज होना बताया गया है परन्तु वादी द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किस खसरा नम्बर से कितनी भूमि ली जाकर पूर्ति की जा सकती है तथा किस खातेदार की भूमि से ली जानी है जिस खसरा नम्बर व खातेदार से भूमि ली जानी है उसको पक्षकार नहीं बनाया है क्योंकि बिना पक्षकार बनाये और बिना सुने उसके खाते से भूमि कम नहीं की जा कसती वादी द्वार पडोसी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है बिना सुने उनकी भूमि कम नहीं की जा सकती अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्मित की जाती है।

तनकी नं. 3 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा की विशेष आपति में बताया है कि वादी का वाद पत्र अपूर्ण तथा अस्पष्ट पेश किया है वादी द्वारा आस–पास के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया तथा आस पड़ौस के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:42:58 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

खसरा नंबरान की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है और न ही नक्शा हाल व साबिक मय मिलान क्षैत्रफल के प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके बाद के तथ्यों का सत्यापन नही किया जा सकता है वादी द्वारा यह भी अंकित नहीं किया गया कि किस खसर नं. से भूमि कम कर वादी की कमी पूर्ति की जानी है ये सभी तथ्य वादी को साबित करना था। वादी यह साबित करने में विफल रहे है अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्मित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के आधार वादी के तथ्यों को सिद्ध करने में विफल रहे है वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित होगा।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.03 12:42:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

...ख्या 65/14	धारा अंतर्गत 88, 89, RTA, 136 L.R.Act	निर्णय दिनांक 5.8.22
...क्ष- श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ब्रजकिशोर शर्मा एड	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1. गौरीशंकर गौर पुत्र श्री कृष्ण
2. बाबूलाल पुत्र नन्दकिशोर
3. रामबाबू पुत्र नन्दकिशोर
4. राजेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर
5. धनराज पुत्र नन्दकिशोर
6. पवन कुमार पुत्र बद्रीविशाल
7. शान्ति कुमार पुत्र बद्रीविशाल
8. चन्द्रशेखर पुत्र बद्रीविशाल
9. सत्यप्रकाश पुत्र रमेशचन्द
10. सूर्यप्रकाश पुत्र रमेशचन्द
11. रमेशचन्द पुत्र आनन्दीलाल जातियान ब्राह्मण निवासी मायनी तह. बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार ~~[illegible]~~ बारां जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ...... रू० का व्ययानुतोष ...... द्वारा ...... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 5.8.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी बारां

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.08 12:42:58 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		

Scanned with CamScanner